प्रेस विज्ञप्ति
18.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी ,(लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए 2002 ,(के प्रावधानों के तहत मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों अर्थात विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक ,श्रीमती रीता तिवारी और श्री अजीत कुमार पांडेय से संबंधित   30.86करोड़ रुपए की 12 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।   कुर्क की गई अचल संपत्तियां वाणिज्यिक स्थान ,आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे लखनऊ ,नोएडा और गोरखपुर जिलों में फैली हुई हैं। कुर्क की गई संपत्तियां मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज ,मैसर्स रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स कंदर्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और श्रीमती रीता तिवारी के नाम पर पंजीकृत हैं जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं ।

ईडी ने मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और इसके प्रमोटर/निदेशक/गारंटर के खिलाफ सीबीआई ,एसी-वी ,नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ।

ईडी की जांच से पता चला है कि मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के संघ से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। आगे यह भी पता चला कि   मैसर्स   गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों द्वारा उक्त क्रेडिट सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया था और बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर इसका डायवर्जन ,दुरुपयोग और हेराफेरी की गई थी जिसके फलस्वरूप बैंकों के संघ को 754.24 करोड़ रुपए की हानि पहुंची।

इससे पहले ,इस मामले में ईडी ने दिनांक   2024/02/23को 10 परिसरों में तलाशी ली थी ,जहां इस धनराशि से खरीदी गई विभिन्न संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इस मामले में दिनांक 17.11.2023 को एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया था ,जिसमें   72.08करोड़ रुपये की कई अचल संपत्तियां कुर्क की गई थी। इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल समेकित मूल्य 102.94 करोड़ रुपए है।

आगे की जांच जारी है।